जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 06.11.2024

दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **महुली पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता जनार्दन पुत्र भगेला बेलदार निवासी पड़रहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, का0 रंगप्रीय गौतम।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा दो पक्षो में मारपीट/विवाद होने के कारण घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत मिठिना-सिठिना से इवेंट सं0 31422 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षो में मारपीट / विवाद होने के कारण घायल 02 व्यक्तियों (1- विमला देवी पत्नी राम ललित, 2-गणेश पुत्र कालीचरण ग्राम मिठिना-सिठिना थाना धनघटा संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों का ऐम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 मोहन प्रजापति,आ0 ऋषभ राय, हो0चा0 रामहित प्रजापति।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 168 वाहनों से 1,93,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 168 वाहनों से 1,93,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियुक्त को 10 माह के कारावास व कुल 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 06.11.2024 को ***ए0एस0जे0/एफटीसी द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 13/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के मामलें में दोषसिद्द अभियुक्त नाम पता छोटू गिरी पुत्र ढ़ोढ़ई गिरी निवासी औघड़ टोला कस्बा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को सत्र वाद सं0 167/24, मु0अ0स0 13/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त छोटू गिरी को संस्वीकृति के आधार पर धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लन्च उपरान्त प्रस्तुत हो।

दण्डादेश

सत्र वाद संख्या 167/2024, मु0अ0सं0 13/24 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त छोटू गिरी को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में 10 माह के कारावास एवं 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने कि स्थिति में अभियुक्त को 07 दिवस कारावास में बिताना होगा। प्रस्तुत प्रकरण मे अभियुक्त द्वारा पूर्व मे कारावास मे बिताई गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जाएगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग की लज्जाभंग के आशय से आपराधिक बल के प्रयोग के मामलें में 02 अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष के कारावास व 18,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनाँक 06.11.2024 को ***न्यायालय – ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बखिरा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2017 धारा 354,504,507, भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्तगण नाम पता 01- मो0 आशिफ पुत्र हबीबुल्लाह 02-मो0 शहजाद उर्फ जादे उर्फ जावेद पुत्र रबीजुल्लाह निवासीगण तरकुलवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

अभि0गण मो0 आशिफ, मो0 शहजाद उर्फ जादे उर्फ जावेद को मु0अ0सं0 67/2017 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में आरोप के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा 354,504 भा0द0वि0 तथा 7/8 पाक्सो एक्ट 2012 के तहत दोषसिद्ध किय जाता है। परन्तु अभि0गण को धारा 507 भा0द0वि0 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। अभि0गण जमानत पर हैं। जमादारों की जमानतनामें व अभि0गण के बन्धपत्र निरस्त किये जाते है। अभि0गण मो0 आशिफ, मो0 शहजाद उर्फ जादे उर्फ जावेद को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

मु0अ0सं0 67/2017 धारा 354,504 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभि0गण मो0 आरिफ व मो0 शहजाद को अन्तर्गत धारा 354 भा0द0वि0 में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000-3000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का कारावास व अन्तर्गत धारा 504 भा0द0वि0 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास व अन्तर्गत धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण का कारावास भोगना होगा। धारा 331 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्वि के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधी को इस मामले के कारवास के अवधी में समायोजित किया जायेगा। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर धारा 357 सीआरपीसी के अन्तर्गत सम्पूर्ण राशि 18000 पीड़िता को अपील अवधि के बाद बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किया जावे।

अभि0गण मो0 आशिफ व मो0 शहजादे उर्फ जादे उर्फ जावेद की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 389(3) सीआरपीसी स्वीकार किया जाता है। अभि0गण प्रत्येक द्वारा मु0 50-50 हजार रु0 के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की प्रतिभू दाखिल भरने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलें मे 02 अभियुक्तों को 06-06 माह के सदाचरण व परिशांति बनाये रखने हेतु किया गया अवमुक्त

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 06.11.2024 को ***मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश स0क0न0*** द्वारा **थाना बखिरा** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 819/2005 धारा 308,323/34,325/34,504,506,452 भादवि के मामलें में अभियुक्तगण 1. रामअवध तिवारी उर्फ अवधनारायण तिवारी पुत्र स्व0 गोपीनाथ 2. बेचई तिवारी उर्फ शिवप्रसाद तिवारी पुत्र स्व0 चन्द्रिका निवासीगण छपवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 323/34,504,452,506 भादवि के आरोप हेतु दोषसिद्ध किया गया है तथा अभि0गण को अपराध अन्तर्गत धारा 308, 325/34 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। उपरोक्त दोषसिद्ध अभि0गण उपरोक्त को अपराध हेतु तत्काल दण्ड से दण्डित न करते हुए 06-06 माह के सदाचरण व परिशांति बनाये रखने हेतु किया गया अवमुक्त।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलें मे 05 अभियुक्तों को 06-06 माह के सदाचरण व परिशांति बनाये रखने हेतु किया गया अवमुक्त

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 06.11.2024 को ***मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश स0क0न0*** द्वारा **थाना बखिरा** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2005 धारा 147,323/149,504,506,308/149 भादवि के मामलें में अभियुक्तगण 01- जगदीश तिवारी पुत्र लाल मुनी, 02- बैजनाथ तिवारी पुत्र लाल मुनी, 03- धनुषधारी पुत्र भूखल, 04- पलकधारी पुत्र भूखल, 05- मृत्युंजय तिवारी पुत्र बैजनाथ तिवारी को अन्तर्गत धारा 147,323/149,504,506 भादवि के आरोप हेतु दोषसिद्ध किया गया है तथा अभि0गण को अपराध अन्तर्गत धारा 308/149 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। उपरोक्त दोषसिद्ध अभि0गण उपरोक्त को अपराध हेतु तत्काल दण्ड से दण्डित न करते हुए 06-06 माह के सदाचरण व परिशांति बनाये रखने हेतु किया गया अवमुक्त।